लक्ष्मण बनाम अनोपी व अन्य

<table>
<tr><th>तारीख हुक्म</th><th>हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
अपील एल आर–   /2019
अभि0 अपी0– अजीतसिंह   अधि0 रेस्पो0–1 –निर्मलकुमार जैन</th><th>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</th></tr>
<tr><td>20-6-19</td><td>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री अजीत सिंह उपस्थित हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के विद्वान अभिभाषक श्री निर्मलकुमार जैन उपस्थित। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के अधिवक्तागण को क्रमशः अपील की ग्राह्यता व ग्राह्यता की आपत्ति पर सुना गया । पत्रावली वास्ते निर्णय रखी जाती है ।

संभागीय आयुक्त
अजमेर</td><td></td></tr>
<tr><td>01-8-19</td><td>पत्रावली निर्णयार्थ पेश हुई । अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। दौराने बहस अपीलार्थी के अभिभाषक द्वारा कमोबेश अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया था कि ग्राम मेवाडियां तहसील पीसागन स्थित आराजीयात साबिक ख0 नं0 1690 रकबा 6–0–0 बीघा जिसके आधार पर खं0नं0 1226 रकबा 0.13, 1230 रकबा 0.39, 1227 /1706 रकबा 0.45 हैक्टर तथा 1039/1852 रकबा 1.42 है0 बनाये गये उक्त आराजीयात पर अपीलार्थी का सवतं 2027 से लगातार कब्जा काश्त होने के कारण आवंटन समिति द्वारा दिनांक 6.12.2001 की पालना में अपीलार्थी को नियमन की गई जिसकी पालना नामा0 संख्या 340 दिनांक 17.12.2002 को बहैसियत खातेदार तस्दीक किया जाकर वर्किंग जमाबन्दी में अमल दरामद किया गया।
अपीलार्थी अधिवक्ता का यह भी कथन है कि ग्राम मेवाडिया स्थित आराजीयात ख0 नं0 855 रकबा 12–00–00 बीघा नंगा पुत्र शालू जाति रावत नि0 मेवाडिया को नियमन की गई उक्त साबित खं0नं0 855 के आधार ख0नं0 1037 रकबा 0.45 है0, 1038 रकबा 0.04 है0 तथा 1075 रकबा 0.03 है0 मुर्तिब कर नक्शा ट्रेस में तरमीम कर दी गई लेकिन शेष रकबा जिसका आधार ख0नं0 1039 खलास बनाये गये में शेष रकबे की तरमीम साबिक ख0नं0 855 की भूमि में नहीं की गई वरन् साबिक ख0नं0 855 आवंटन हुई आराजीयात के शेष रकबे की तरमीम ख0नं0 1690 जो अपीलार्थी की आवंटन शुदा खातेदारी /काश्तकारी की आराजीयात है में लगभग 1 किमी दूर की जाकर आधार ख0नं0 1039/1852 रकबा 1.42 है0 कर दी गई जबकि वर्किंग एवं आधार नक्शा ट्रेस का मिलान करने पर हाल ख0नं0 1039/1852 रकबा 142 है0 का सर्जन साबिक ख0नं0 1690 जो अपीलार्थी की खातेदारी की भूमि है, से होना सिद्ध है जिसे बन्दोबस्त विभाग द्वारा त्रुटिपूर्ण रूप से मिलान क्षेत्रफल में साबिक ख0नं0 855 से सृर्जित होना अंकित कर दिया गया ।
अपीलार्थी अधिवक्ता का यह कथन है कि उपरोक्त त्रुटिपूर्ण कार्यवाही होने के कारण तहसीलदार पीसागन के समक्ष भू–संशोधन नक्शा ट्रेस एवं सवत 2028 के अनुरूप भू–प्रबन्धन नक्शा सन 1981–82 में संशोधन करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 10.6.2008 को उपखण्ड अधिकारी</td><td></td></tr>
</table>

संभागीय आयुक्त
अजमेर

तारीख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील एल आर– /2019 अभि0 अपी0– अजीतसिंह अधि0 रेस्पो0–1 –निर्मलकुमार जैन	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पीसागन के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें भी स्पष्ट रूप से अंकित किया गया कि हाल ख0नं0 1039/1852 का सर्जन साविक ख0नं0 855 से हुआ है लेकिन गत भू–संशोधन सवत् 2028 में अंकित स्थल ख0नं0 1690 पर आधार खं0नं0 1039/1852 कतई गलत दर्ज किया गया है लेकिन उक्त रिपोर्ट के बावजूद उपखण्ड अधिकारी पीसागन द्वारा कोई आदेश बावत संशोधन जारी नहीं किया गया। अपीलार्थी अधिवक्ता का यह भी कथन है कि साविक ख0नं0 855 के आवंटी नग्गा पुत्र. सालू द्वारा उक्त आराजीयात रेस्पो0 1 को विक्रय कर दी गई जिसके आधार पर नामा0 संख्या 549 रेस्पो0 संख्या 1 के नाम तस्दीक किया गया और उक्त त्रुटि का नाजायत लाभ अर्जित करने के लिये रेस्पो0 सं01 द्वारा उपखण्ड अधिकारी पीसागंन के समक्ष साविक ख0नं0 855 के वजाय ख0नं0 1690 में गलत रूप से फिट किये गये आधार ख0नं0 1039/1852 रकबा 1.42 है0 का सीमाज्ञान किये जाने हेतु प्रा0 पत्र प्रस्तुत किया गया और दिनांक 26.7.2011 को मोका पर्चा मुर्तिब किया गया जिसमें रेस्पो0सं0 1 मौके पर काबिज नहीं होना स्पष्ट अंकित किया गया फिर भी उपखण्ड अधिकारी पीसांगन द्वारा 22.11.2017 को जरिये आदेश उखपी/कोर्ट/17/317 के द्वारा त्रुटिपूर्ण रूप से मुर्तिब मिलान क्षेत्रफल के आधार पर नक्शें में फिट किये गये ख0नं0 1039/1852 का सीमाज्ञान करने का आदेश अन्तर्गत अपील पारित कर दिया गया जबकि साविक एवं आधार नक्शा ट्रेस के मिलान के अनुसार आधार ख0नं0 1039/1852 का सर्जन सागिक ख0नं0 1690 जो कि अपीलार्थी आवटित शुदा भूमि है से होना सिद्ध है अतः उपखण्ड अधिकारी पीसांगन के उक्त आदेश दिनांक 22.11.2017 से पीडित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई । अपीलार्थी अधिवक्ता की बहस के जवाब में रेस्पो0 संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा पूर्व में प्रस्तुत प्रा0 पत्र प्रारम्भिक आपत्ति में अपील को एडमिशन स्टेज पर ही निरस्त किये जाने बावत दिनांकित 15.2.2018 में अंकित तथ्यों को ही कमोबेश दोहराते हुए उनके द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया कि उपरोक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय के दौरान राजस्व वाद सं0 24/2010 अन्तर्गत धारा 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम व बउनवान श्रीमती अनोप बनाम लक्ष्मण के वाद पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीसागन द्वारा दिनांक 10.11.2017 को आदेश पारित किया गया तथा आदेश की पालना हेतु पत्र दिनांक 22.11.17 का तहसीलदार पीसागन को जारी किया गया इस प्रकार अपीलार्थी के द्वारा अपील आदेश दिनांक 10.11.2017 की पालना में जारी पत्र दिनांक 22.11.17 के विरूद्व अपील प्रस्तुत की गई वह पोषनीय होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।	

संभागीय आयुक्त
अजमेर

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील एल आर– /2019 अभि0 अपी0– अजीतसिंह अधि0 रेस्पो0–1 –निर्मलकुमार जैन	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

रेस्पो0 संख्या 1 के अधिवक्ता का यह भी कथन है कि उपखण्ड अधिकारी पीसागन के आदेश दिनांक 10.11.17 के विरूद्व मान0 राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी टी0ए0 संख्या 6973/17 लक्ष्मण बनाम अनोपी देवी प्रस्तुत की गई जिस पर मान0 राजस्व मण्डल राज0 अजमेर द्वारा दिनांक 28.11.17 के अनुसार निगरानीकर्ता लक्ष्मण की निगरानी दिनांक 28.11.17 को ही निरस्त कर दी गई तथा उपखण्ड अधिकारी पीसागन के आदेश दिनांक 10.11.17 को यथावत रखा गया।

निगरानी/टीए/6973/2017/अजमेर बउनवान लक्ष्मण बनाम अनोगी देवी में मान0 राजस्व मण्डल की एकल पीठ के सदस्य श्री बी0एस0 गर्ग द्वारा पारित आदेश 28.11.17 में यह उल्लेखित किया गया है कि उपखण्ड अधिकारी ने अप्रार्थीया के प्रार्थना पत्र ख0नं0 1226, 1230, 1227/1706 ख0नं0 1037,1038,1039/1852 का सीमाज्ञान पुलिस ईमदाद में वर्तमान नक्शें के अनुसार तहसीलदार पीसागन को कराने के आदेश दिये गये है जिसके अनुसार दोनों पक्षों की उपस्थिति में शान्ति पूर्वक तरीके से सीमा ज्ञान कराये जाने में किसी पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। अगर किसी पक्ष को सीमा ज्ञान में कोई आपत्ति है तो उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अपनी आपत्ति पेश कर सकते है किन्तू मौके पर शान्ति पूर्वक सीमा ज्ञान कराया जावें। उपरोक्त स्थिति पुलिस उपस्थिति आवश्यक नहीं है। अगर वरवक्त सीमा ज्ञान कोई पक्ष शान्ति भंग करता है तो अपेक्षित कार्यवाही पुलिस स्वतः करें और इसी आधार पर माननीय राजस्व मण्डल की एकल पीठ द्वारा निगरानी का निरस्तारण किया जाकर ग्राहयता के स्तर पर ही निर्णय पारित किया जा चुका है। अन्त मे प्रत्यर्थी संख्या 01 के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि उक्त सभी तथ्यों को छिपाकर उपरोक्त अपील जो कि आदेश 10.11.17की पालना में लिखे गये पत्र दिनांक 22.11.17 के विरूद्व प्रस्तुत की गई जो कि पोषनीय ही नहीं है अतः उक्त अपील को एडमिशन स्तर पर ही निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रत्यर्थी संख्या 01 के अधिवक्ता द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि उपरोक्त अपील एल0आर0 एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत की गई है जबकि आक्षेपित आदेश नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम के वाद पत्र पर पारित आदेश है इस कारण एलआर एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत अपील ही प्रस्तुत किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है । अतः ऐसी स्थिति में रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलार्थी की उक्त अपील को एडमिशन स्तर पर ही निरस्त किया जावें।

अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि चूंकि उपरोक्त अपील एल0आर0 एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत की गई है जबकि आक्षेपित आदेश नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम के वाद पत्र पर पारित आदेश है इस कारण एलआर एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत अपील ही प्रस्तुत किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

संभागीय आयुक्त
अजमेर

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील एल आर– /2019 अभि0 अपी0– अजीतसिंह अधि0 रेस्पो0–1 –निर्मलकुमार जैन	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की ताबील में जारी हुए
	अतः ऐसी स्थिति में रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलार्थी की उक्त अपील को एडमिशन स्तर पर ही निस्तारित किया जाना न्यायोचित होगा। साथ ही दोनों पक्षों की उपस्थिति में शान्ति पूर्वक तरीके से सीमा ज्ञान कराये जाने में किसी पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। अगर किसी पक्ष को सीमा ज्ञान में कोई आपत्ति है तो उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अपनी आपत्ति पेश कर सकते है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील का निस्तारण ग्राहयता के स्तर पर ही किया जाकर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । निर्णय की सूचना अधिवक्ता पक्षाकरान को दी जावें। संभागीय आयुक्त अजमेर	

Scanned by CamScanner